सीडीएसएल से एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने हेतु नियम एवं शर्तें-सह-पंजीकरण फॉर्म परिभाषाएं:

इन नियम एवं शर्तों में शब्दों का तात्पर्य निम्नलिखित अर्थों से होगा बशर्ते कि इनहें अलग सूचित नहीं किया गया है:

- 1. "निक्षेपागार (डिपोजिटरी)" का अर्थ केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लिमिटेड है, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत में गठित एक कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय 17वां तल, पी.जे.टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400001 है और इसकी सभी शाखाएं हैं एवं इसमें इसके उत्तराधिकारी एवं समन्देशिती शामिल हैं.
- 2. 'डीपी' का अर्थ सीडीएसएल के निक्षेपागार प्रतिभागी से है. इस शब्द में सभी प्रकार के 'डीपी' शामिल हैं, जिन्हें निवेशकों के लिए डीमैट खाते खोलने की अनुमति प्राप्त है.
- 3. 'बीओ' का अर्थ एक ऐसी इकाई से है जिसने निक्षेपागार के साथ डीमैट खाता खोला हुआ है. इस शब्द में सभी प्रकार के डीमैट खाते शामिल हैं, जिन्हें निक्षेपागार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने के आधार पर किसी निक्षेपागार के साथ खोले जा सकते हैं.
- 4. एसएमएस का अर्थ "संक्षिप्त मैसेजिंग सेवा" है.
- 5. "अलर्ट" का अर्थ बीओ के मोबाइल नंबर पर भेजा गया एक कस्टमाइज एसएमएस है.
- 6. "सेवा प्रदाता" का अर्थ ऐसे सेलुलर सेवा प्रदाता (प्रदाताओं) से है जिसके साथ निक्षेपागार ने बीओ को एसएमएस अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यवस्था की है या करने वाले है.
- 7. "सेवा" का अर्थ इन नियम एवं शर्तों के अनुसार श्रेष्ठतम प्रयास के आधार पर बीओ को एसएमएस अलर्ट भेजने की सेवा है.

उपलब्धताः

- 1. यह सेवा बीओ को उनके अनुरोध और निक्षेपागार के विवेक पर उपलब्ध कराई जाएगी. यह सेवा उन खाताधारकों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने अपने डीपी के माध्यम से निक्षेपागार को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया है. यह सेवा सुरक्षा कारणों अथवा सिस्टम मरम्मत अथवा किसी अन्य अपेक्षित कारणों से किसी निर्धारित अविधि/ अनंतकालीन अविधि के लिए सूचना देने के साथ अथवा बिना सूचित किए ही डीपी सेवा को बंद किया जा सकता है. निक्षेपागार किसी भी समय कोई कारण बताए बिना, बगैर किसी पूर्व सूचना के इस सेवा को बंद की जा सकती है.
- 2. वर्तमान में यह सेवा भारत में रह रहे बीओ के लिए उपलब्ध है.
- 3. ये अलर्ट बीओ को तभी भेजे जाएंगे जब वे सेवा प्रदाता के सेवा क्षेत्र में अथवा सेवा प्रदाता के रोमिंग नेटवर्क में शामिल क्षेत्र के रेंज के भीतर रहेंगे.
- 4. संयुक्त खाते और गैर-वैयक्तिक खातों के मामले में पंजीकरण / संशोधन के समय दिए गए एक मोबाइल नंबर पर ही यह सेवा उपलब्ध होगी.
- 5. बीओ इस बात के लिए उत्तरदायी होंगे कि जिस पर बीओ निक्षेपागार से अलर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, उस मोबाइल नंबर के बदलने, अथवा हैंड-सेट गुम होने पर, निर्धारित प्रारूप में तत्काल इसकी सूचना निक्षेपागार को दें. यदि मोबाइल नंबर के बदले जाने की सूचना निक्षेपागार को नहीं दी जाती है तो अंतिम पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट का भेजा जाना जारी रहेगा. ऐसे मोबाइल नंबर

पर एसएमएस अलर्ट भेजे जाने के कारण निक्षेपागार को पहुंचने वाली नुकसान या क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिए बीओ सहमत होंगे.

अलर्ट प्राप्त करनाः

- 1. निक्षेपागार बीओ द्वारा सेवा के पंजीकरण के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर पर अथवा वैसे मोबाइल नंबर जिसे समय-समय पर बीओ द्वारा सूचित किए जाने पर बदला जाता है, उसपर एसएमएस अर्लर्ट उपलब्ध कराएगा. ऐसे पंजीकरण / बदलाव किए जाने पर निक्षेपागार स्तर से पूरा प्रयास किया जाएगा कि तर्कसंगत समय में मोबाइल नंबर के इस बदलाव का अद्यतन किया जाए. इस संबंध में किसी देरी अथवा मैसेज नहीं प्राप्त होने के लिए निक्षेपागार को जिम्मेवार नहीं माना जाएगा.
- 2. बीओ यह मानते हैं कि जब मोबाइल फोन चालू (ON) रहेगा और एसएमएस प्राप्त करने के मोड में रहेगा, तभी अर्ला प्राप्त होगा. यदि मोबाइल बंद मोड में है अर्थात एसएमएस प्राप्त करने में असमर्थ होगा तब बीओ संबंधित अविध में भेजे गए अर्ला प्राप्त नहीं कर सकते हैं/ या विलंब से प्राप्त कर सकते हैं
- 3. बीओ यह भी मानते हैं िक सेवा प्रदान करने की पठनीयता, सटीकता और समयबद्धता कई कारकों पर निर्भर करती हैं जैसे िक सेवा प्रदाता की आधारभूत संरचना, कनेक्टीविटी. निक्षेपागार अलर्ट की प्राप्ति नहीं होने, देर से प्राप्त होने अथवा अलर्ट में िकसी भी प्रकार की तोड़-मरोड़ के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
- 4. बीओ इसके अतिरिक्त यह भी मानते हैं कि उन्हें प्रदान की जा रही यह सेवा उनकी सुविधा के लिए एक अतिरिक्त सेवा है और यह त्रुटि, तोड़-मरोड़ और/ अथवा अशुद्धि से पूरी तरह परे नहीं है. बीओ यदि अलर्ट में उपलब्ध कराई गई किसी जानकारी में त्रुटि पाते हैं तो बीओ तत्काल लिखित में निक्षेपागार और/ अथवा डीपी को सूचित करें और निक्षेपागार इस त्रुटि का सुधार करने में यथासंभव सभी श्रेष्ठतम प्रयास करेगा. एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने की सुविधा के विकल्प का चयन करने के कारण बीओ को हुए किसी नुकसान, क्षित आदि के लिए बीओ निक्षेपागार को जिम्मेवार नहीं ठहराएगा.
- 5. बीओ निक्षेपागार को संवर्धन, शुभकामना अथवा अन्य संदेश जिसे निपेक्षागार उचित समझता हो को बीओ को भेजने के लिए प्राधिकृत करता है. बीओ सीडीएसएल एवं अन्य इकाई के साथ मार्केटिंग ऑफ़र के लिए नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का प्रयोग करने हेतु सहमति प्रदान करता है.
- 6. बीओ एसएमएस अलर्ट प्राप्त होने पर अपने बीओ खाते में अनिधकृत डेबिट / अपने बीओ खाते से प्रतिभूतियों के अनिधकृत अंतरण होने की सूचना मिलते ही तत्काल लिखित रूप में निक्षेपागार और डीपी को सूचना देने के लिए अपनी सहमित प्रदान करते हैं. बीओ सीडीएसएल को complaints@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं. बीओ को सूचित किया जाता है कि अपने बीओ खाते से किसी अनिधकृत डेबिट / प्रतिभूतियों के अंतरण की सूचना अपने सेवा प्रदाता को वापसी एसएमएस भेज कर नहीं करें क्योंकि सेवा प्रदाता और निक्षेपागार के बीच के बीच कोई वापसी का संप्रेषण नहीं किया जाता है.
- 7. मोबाइल नंबर पर जानकारी के रूप में भेजे गए एसएमएस अलर्ट को बीओ के द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा और निक्षेपागार अलर्ट प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सत्यता की पुष्टि करने के लिए किसी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आएगा.
- 8. निक्षेपागार सेवा प्रदान करने के लिए अपनी ओर से श्रेष्ठ प्रयास करेगा. बीओ किसी भी परिस्थिति में सेवा उपलब्ध नहीं होने के लिए निक्षेपागार को जिम्मेवार नहीं ठहराएगा.
- 9. यदि बीओ यह पाता है कि उसके द्वारा उपयुक्त रूप से अधिकृत किए बिना मोबाइल नंबर, आदि संबंधी सूचना में परिवर्तन किया गया है तो बीओ लिखित रूप में डीपी को इसकी सूचना देगा.

फीस:

निक्षेपागार बीओ को यह सुविधा प्रदान करने के लिए समय समय पर जैसा उचित समझे इसकी फीस वसूलने का अधिकार रखता है.

घोषणाः

निक्षेपागार बीओ की जानकारी को गोपनीय रखने के सारे उचित प्रयास करेगा. निक्षेपागार सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस अर्लर्ट भेजे जाने की गोपनीयता अथवा सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता है. इसके अतिरिक्त एसएमएस अर्लर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के कारण या इसके संबंध में बीओ अथवा किसी अन्य व्यक्ति को हुए नुकसान, क्षित होने के लिए अपने सिस्टम या नेटवर्क अथवा इसके कार्यनिष्पादन से संबंधित अन्य कार्य के संबंध में निक्षेपागार कभी भी और किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं लेगा अथवा इसका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा. निक्षेपागार सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा संबंधी गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं लेगा. निक्षेपागार बीओ के मोबाइल फोन नंबर पर भेजी गई सूचना और/अथवा एसएमएस अर्लर्ट के अनिधकृत एक्सेस, उपयोग अथवा किसी तीसरे पक्ष द्वारा ऐसी सूचना संबंधी धोखाधड़ी अथवा डुप्लिकेट या त्रुटिपूर्ण उपयोग/ दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

जिम्मेदारी और क्षतिपूर्तिः

बीओ के लिए लक्षित किसी सूचना के अनिधकृत एक्सेस के कारण सेवा प्रदाता अथवा किसी तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए निक्षेपागार उत्तरदायी नहीं होगा. निक्षेपागार के साथ सेवा प्रदान करने पर विचार किए गए अनुसार बीओ द्वारा इस सेवा के दुरूपयोग, अनुचित उपयोग अथवा धोखाधड़ी अथवा हस्तक्षेप के कारण निक्षेपागार स्तर पर किसी भी समय हुए किसी भी नुकसान, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानि, लागत, प्रभारों, खर्चों की क्षतिपूर्ति करने और इनसे निक्षेपागार और इसके अधिकारियों को सुरक्षित तथा हानिरहित रखने के लिए बीओ की सहमति होगी.

संशोधनः

निक्षेपागार बीओ को सूचित करते हुए अथवा सूचना दिए बगैर नियमों एवं शर्तों में किसी भी समय संशोधन कर सकता है. पहले से उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत बीओ ऐसे किसी भी संशोधनों का पालन करने के लिए बाध्य है.

शासकीय कानून और न्याय-अधिकारः

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट प्रदत्त सेवा भारत के कानून से शासित होगी और यह मुंबई न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के ही अध्यधीन होगी.

मैं/हम निम्निलिखित नियमों एवं शर्तों के अध्यधीन पंजीकरण फॉर्म में दिए गए अपने/हमारे मोबाइल नंबर पर निक्षेपागार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही एसएमएस अलर्ट की सुविधा का लाभ उठाना चाहता/ चाहती हूं/ चाहते हैं. मैं/ हम सीडीएसएल को सेवा प्रदाता को मेरे / हमारे खाते से संबंधित खाते/लेनदेन से संबंधित ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सहमति देता/ देती हूं / देते हैं जो सेवा प्रदाता द्वारा इस मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजने हेतु एसएमएस अलर्ट जेनरेट करने के उद्देश्य से जरूरी है.

मैंनें/ हमने उपर्युक्त सभी नियमों एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनके तथा निक्षेपागार द्वारा समय समय पर उनमें किए गए किसी भी बदलाव का पालन करने के लिए मैं/ हम सहमत हूं/ हैं. इसके अतिरिक्त मैं/ हम निक्षेपागार द्वारा समय समय पर लगाए जाने वाले फीस/ प्रभारों को अदा करने का वचन देता/ देती हूं/ देते हैं.

इसके अतिरिक्त मैं/ हम मानता/मानती हूं/ मानते हैं कि एक बार में अधिकतम चार आईएसआईएनएस के लिए एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा. यदि चार से अधिक डेबिट किए जाते हैं तो बीओ को आने डीपी के साथ इस मामले को संज्ञान में लाना चाहिए.

मैं/ हम इस बात से अवगत हूं/ हैं कि पंजीकरण फॉर्म के स्वीकार करने मात्र से किसी भी तरह निक्षेपागार द्वारा यह सेवा प्रदान करने संबंधित अनुरोध की स्वीकृति नहीं मानी जाएगी.

में। नम मंत्रीकरणा। मंशोधन करने के लिए निपन्तियित जानकारी प्रतान कर रना। रनी हं। रने हैं (काम्या जो

म/ हम पजाकरण/ लागू नहीं हैं उसे क			१ रन	काल	ए ।न∙	म्नाल	ाखत	जानव	गरा :	प्रदान	कर '	रहा/	रहा ह	६/ र ह	ह. (कृपया	ज।	
बीओआईडी	1	3	0	1	8	7	0	0										
(कृपया अपनी आठ अंक की ग्राहक आईडी लिखें) गोल/ प्रथम धारक का नाम: द्वितीय धारक का नाम: गोबाइल नंबर जिसपर:																		
सदश मण जान ह. मोबाइल नंबर								•								ंबर वि	तेखें)	
ईमेल आईडी(कृपया एक ईमेल आईडी लिखें जिनपर, यदि कोई सूचना हो, तो भेजी जाए)																		
स्ताक्षर सोल/ प्रथम धारव			धारक	5	द्वितीय धारक						तृतीय धारक							
स्थान:									दिन	नांक·								

Terms And Conditions-cum-registration Form for receiving SMS Alerts from CDSL

Definitions:

In these Terms and Conditions the terms shall have following meaning unless indicated otherwise :

- "Depository" means Central Depository Services (India) Limited a company incorporated in India under the Companies Act 1956 and having its registered office at 17th Floor, P. J. Towers, Dalal'Street, Fort, Mumbai 400001 and all its branch offices and includes its successors and assigns.
- 2. 'DP' means Depository Participant of CDSL. The term covers all types of DPs who are allowed to open demat accounts for investors.
- 'BO' means an entity that has opened a demat account with the depository. The term covers all types of demat accounts, which can be opened with a
 depository as specified by the depository from time to time.
- SMS means "Short Messaging Service"
- 5. "Alerts" means a customized SMS sent to the BO over the said mobile phone number.
- 6. "Service Provider" means a cellular service provider(s) with whom the depository has entered / will be entering into an arrangement for providing the SMS alerts to the BO.
- "Service" means the service of providing SMS alerts to the BO on best effort basis as per these terms and conditions.

Availability:

- 1. The service will be provided to the BO at his / her request and at the discretion of the depository. The service will be available to those accountholders who have provided their mobile numbers to the depository through their DP. The services may be discontinued for a specific period/indefinite period/with or without issuing any prior notice for the purpose of security reasons or system maintenance or for such other reasons as may be warranted. The depository may also discontinue the service at any time without giving prior notice for any reason whatsoever.
- The service is currently available to the BOs who are residing in India.
- The alerts will be provided to the BOs only if they remain within the range of the service provider's service area or within the range forming part of the
 roaming network of the service provider.
- 4. In case of joint accounts and non-individual accounts the service will be available, only to one mobile number i.e. to the mobile number as submitted at the time of registration / modification.
- 5. The BO is responsible for promptly intimating to the depository in the prescribed manner any change in mobile number, or loss of handset, on which the BO wants to receive the alerts from the depository. In case of change in mobile number not intimated to the depository, the SMS alerts will continue to be sent to the last registered mobile phone number. The BO agrees to indemnify the depository for any loss or damage suffered by it on account of SMS alerts sent on such mobile number.

Receiving Alerts:

- 1. The depository shall send the alerts to the mobile phone number provided by the BO while registering for the service or to any such number replaced and informed by the BO from time to time. Upon such registration / change, the depository shall make every effort to update the change in mobile number within a reasonable period of time. The depository shall not be responsible for any event of delay or loss of message in this regard.
- The BO acknowledges that the alerts will be received only if the mobile phone is in 'Off'
 mode i.e. unable to receive the alerts then the BO may not get / get after delay any alerts sent during such period.
- The BO also acknowledges that the readability, accuracy and timeliness of providing the service depend on many factors including the infrastructure, connectivity of the service provider. The depository shall not be responsible for any non-delivery, delayed delivery or distortion of the alert in any way what soever
- 4. The BO further acknowledges that the service provided to him is an additional facility provided for his convenience and is susceptible to error, omission and/ or inaccuracy. In case the BO observes any error in the information provided in the alert, the BO shall inform the depository and/ or the DP immediately in writing and the depository will make best possible efforts to rectify the error as early as possible. The BO shall not hold the depository liable for any loss, damages, etc. that may be incurred/ suffered by the BO on account of opting to avail SMS alerts facility.
- The BO authorizes the depository to send any message such as promotional, greeting or any other message that the depository may consider appropriate, to the BO. The BO agrees to an ongoing confirmation for use of name, email address and mobile number for marketing offers between CDSL and any other entity.
- 6. The BO agrees to inform the depository and DP in writing of any unauthorized debit to his BO account/ unauthorized transfer of securities from his BO account, immediately, which may come to his kno wledge on receiving SMS alerts. The BO may send an email to CDSL at complaints@cdslindia.com. The BO is advised not to inform the service provider about any such unauthorized debit to/ transfer of securities from his BO account by sending a SMS back to the service provider as there is no reverse communication between the service providerand the depository.
- 7. The information sent as an alert on the mobile phone number shall be deemed to have been received by the BO and the depository shall not be under any obligation to confirm the authenticity of the person(s) receiving the alert.
- 8. The depository will make best efforts to provide the service. The BO cannot hold the depository liable for non-availability of the service in any manner whatsoever.
- If the BO finds that the information such as mobile number etc., has been changed without proper authorization, the BO should immediately inform the DP in writing.

Fees:

Depository reserves the right to charge such fees from time to time as it deems fit for providing this service to the BO.

Disclaimer:

The depository shall make reasonable efforts to ensure that the BO's personal information is kept confidential. The depository does not warranty the confidentiality or security of the SMS alerts transmitted through a service provider. Further, the depository makes no warranty or representation of any kind in relation to the system and the network or their function or their performance or for any loss or damage whenever and howsoever suffered or incurred by the BO or by any person resulting from or in connection with availing of SMS alerts facility. The Depository gives no warranty with respect to the quality of the service provided by the service provider. The Depository will not be liable for any unauthorized use or access to the information and/ or SMS alert sent on the mobile phone number of the BO or for fraudulent, duplicate or erroneous use/ misuse of such information by any third person.

Liability and Indemnity:

The Depository shall not be liable for any breach of confidentiality by the service provider or by any third person due to unauthorized access to the information meant for the BO. In consideration of the depository providing the service, the BO agrees to indemnify and keep safe, harmless and indemnified the depository and its officials from any damages, claims, demands, proceedings, loss, cost, charges and expenses whatsoever which a depository may at any time incur, sustain, suffer or be put to as a consequence of or arising out of interference with or misuse, improper or fraudulent use of the service by the BO.

Amendments:

Signatures

Place:

Sole / First Holder

The depository may amend the terms and conditions at any time with or without giving any prior notice to the BOs. Any such amendments shall be binding on the BOs who are already registered as user of this service.

Governing Law and Jurisdiction:

Providing the Service as outlined above shall be governed by the laws of India and will be subject to the exclusive jurisdiction of the courts in Mumbai.

I/We wish to avail the SMS Alerts facility provided by the depository on my/our mobile number provided in the registration form subject to the terms and conditions mentioned below. I/ We consent to CDSL providing to the service provider such information pertaining to account/transactions in my/our account as is necessary for the purposes of generating SMS Alerts by service provider, to be sent to the said mobile number.

I/We have read and understood the terms and conditions mentioned above and agree to abide by them and any amendments thereto made by the depository from time to time. I/ we further undertake to pay fee/ charges as may be levied by the depository from time to time.

I / We further understand that the SMS alerts would be sent for a maximum four ISINs at a time. If more than four debits take place, the BOs would be required to take up the matter with their DP.

I/We am/ are aware that mere acceptance of the registration form does not imply in any way that the request has been accepted by the depository for providing the service.

Second holder

Third Holder

Date: